[2022] 13 एस.सी.आर. 484

सुशांत कुमार बनिक

बनाम

त्रिपुरा राज्य और अन्य।

(आपराधिक अपील संख्या 1708/2022)

सितम्बर 30, 2022

(उदय उमेश ललित, मुख्य न्यायाधीश, एस. रविन्द्र भट और जे.बी परदीवाला, न्यायाधिपतिगण)

स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम, 1988: एस. 3(1) कुछ व्यक्तियों को हिरासत में लेने के आदेश देने की शक्ति - दंडनीय अपराधों के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ एफआईआर। मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के लिए एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा- 22 (बी) / 22 (सी) / 29 और 21 (बी) का वह एक आदतन अपराधी है, की वैधता और वैधता को चुनौती देने वाली सरकारी रिट याचिका द्वारा हिरासत आदेश अपील पर उच्च न्यायालय द्वारा हिरासत आदेश को खारिज कर दिया गया, माना गया: प्रस्ताव की तारीख से हिरासत के आदेश को पारित करने में देरी हुई, जिससे पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों और हिरासत के उद्देश्य और विफलता के बीच "लाइव और निकटतम लिंक" टूट गया। किसी भी तरीके से इस तरह की देरी को समझाने में हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की ओर से इस तरह की देरी जब तक कि संतोषजनक ढंग से नहीं बताई जाती है, हिरासत के आदेश को पारित करने में हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की अपेक्षित व्यक्तिपरक संतुष्टि की वास्तविकता पर काफी संदेह पैदा करती है और परिणामस्वरूप हिरासत के आदेश को खराब और अमान्य बना देती है - इसके अलावा, महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अपीलकर्ता बंदी को सख्त कार्रवाई के बावजूद जमानत पर रिहा कर दिया गया था। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37, एफ को ध्यान में नहीं लाया गया था और रोक दिया गया था और हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को यह समझने के लिए दिया गया था कि उन आपराधिक मामलों की सुनवाई लंबित थी - व्यक्तिपरक संतुष्टि, जिसका गठन हिरासत आदेश पारित करने के लिए एक शर्त है , यदि सामग्री या महत्वपूर्ण तथ्य जो मुद्दे पर असर डालते हैं और हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की संतुष्टि को एक या दूसरे तरीके से प्रभावित करते हैं और उसके दिमाग को प्रभावित करते हैं, प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा रोक दिए जाते हैं या दबा दिए जाते हैं

या हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है और विचार नहीं किया जाता है, तो यह खराब हो जाता है। हिरासत आदेश जारी करने से पहले - इस प्रकार, हिरासत के आदेश को रद्द कर दिया जाता है और अलग रखा जाता है - स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए

आयोजित: 1.1 पुलिस अधीक्षक के अंत में अपीलकर्ता को निवारक रूप से हिरासत में लेने के लिए कदम उठाने का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक (सी/एस) पश्चिम त्रिपुरा, अगरतला को संबोधित है, दिनांक 28 जून 2021 है। सहायक पुलिस महानिरीक्षक (अपराध) को महानिदेशक की ओर से सचिव, गृह विभाग को दिनांक 14.07.2021 भेजा गया है। हिरासत का आदेश 12 नवंबर, 2021 का है। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को निवारक हिरासत का आदेश पारित करने में लगभग पांच महीने क्यों लग गए। [पैरा 12][495-डी-ई]

1.2 अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि यदि हिरासत के आदेश की तारीख और हिरासत में लिए गए व्यक्ति की वास्तविक गिरफ्तारी के बीच अनुचित देरी होती है और उसी तरह प्रस्ताव की तारीख और हिरासत के आदेश के पारित होने के बीच ऐसी देरी होती है, जब तक कि संतोषजनक ढंग से समझाया न जाए। हिरासत आदेश पारित करने में डी हिरासत प्राधिकारी की अपेक्षित व्यक्तिपरक संतुष्टि की वास्तविकता पर काफी संदेह है और परिणामस्वरूप हिरासत आदेश को खराब और अमान्य बना दिया गया है क्योंकि हिरासत के आधारों के बीच "जीवित और निकटतम लिंक" है [

और हिरासत का उद्देश्य हिरासत में लिए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करने में समाप्त हो जाता है। यह सवाल कि क्या देरी अनुचित है और अस्पष्ट है, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। पैरा 20|1498-डी-एफआई 1.3 तत्काल मामले में, परिस्थितियों से संकेत मिलता है कि प्रायोजक प्राधिकारी से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी अधिक तत्परता के साथ एफ हिरासत के आदेश को पारित करने में उदासीन था। हिरासत के आधार और हिरासत के उद्देश्य के बीच "जीवित और निकटतम संबंध" हिरासत में लिए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करने में टूट गया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देरी को किसी भी तरीके से स्पष्ट नहीं किया गया है देरी का मुद्दा विशेष रूप से उठाया गया था और उच्च के समक्ष तर्क दिया गया था न्यायालय जैसा कि आक्षेपित निर्णय से स्पष्ट है फिर भी उच्च न्यायालय जी ने इस पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है। [पैरा 2111498-जी-एच]

2.1 दोनों मामलों में अपीलकर्ता को निवारक रूप से हिरासत में लेने के उद्देश्य से हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा भरोसा किया गया, एक अपीलकर्ता को संबंधित विशेष न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया था। निर्विवाद रूप से, हिरासत के आदेश पर कार्रवाई करने का अनुरोध करते हुए पश्चिम त्रिपुरा जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में इस तथ्य का कोई संदर्भ नहीं है। मामले के इस पहलू पर अधिक जोर देने का कारण यह तथ्य है कि अपीलकर्ता को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत अपराध के संबंध में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन विशेष न्यायालय, त्रिपुरा ने धारा की कठोरता के बावजूद अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करना उचित समझा। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के 37. [पैरा 2211499-बी-सी बी

सी 2.2 एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 को पढ़ने से पता चलता है कि एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत गिरफ्तार किए गए आरोपी को केवल तभी जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जा सकता है यदि अदालत संतुष्ट है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी नहीं है। ऐसे अपराध का दोषी है और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। यदि अपीलकर्ता को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 37 की कठोरता के बावजूद डी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया था, तो यह सुझाव देता है कि संबंधित न्यायालय को उसके खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं मिला होगा। यदि यह तथ्य हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के ध्यान में लाया जाता, तो इससे हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के दिमाग पर किसी न किसी तरह से इस सवाल पर प्रभाव पड़ता कि हिरासत का आदेश दिया जाए या नहीं। राज्य ने कभी जमानत को चुनौती देने के बारे में भी नहीं सोचा। विशेष अदालत द्वारा अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किये गये। पैरा 2311499-एच; 500-ए-सीआई ई

2.3 अपेक्षित व्यक्तिपरक संतुष्टि, जिसका गठन हिरासत आदेश एफ पारित करने से पहले की शर्त है, यदि सामग्री या महत्वपूर्ण तथ्य जो मुद्दे पर असर डालेंगे और हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की संतुष्टि को एक या दूसरे तरीके से प्रभावित करेंगे, तो खराब हो जाएगी और प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा उसके दिमाग पर पड़ने वाले प्रभाव को या तो रोक दिया जाता है या दबा दिया जाता है या नजरबंदी जी आदेश जारी करने से पहले हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है और उस पर विचार नहीं किया जाता है। [पैरा 2611500-एच; 501-ए-बीआई

2.4 तत्काल मामले में, जिस समय हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने हिरासत आदेश पारित किया, यह महत्वपूर्ण तथ्य, अर्थात्, अपीलकर्ता बंदी को एनडीपीएस एचएसीटी की धारा 37 की कठोरता के

बावजूद विशेष न्यायालय, त्रिपुरा द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया था। 1985, संज्ञान में नहीं लाया गया था और दूसरी ओर हाथ, इस तथ्य को रोक दिया गया था और हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को यह समझने के लिए ए दिया गया था कि उन आपराधिक मामलों की सुनवाई लंबित थी। [पैरा 271501-बी-सी

3.1 निवारक हिरासत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक गंभीर आक्रमण है और किसी भी अपराध के आरोप वाले व्यक्ति के लिए आरोप को खारिज करने या मुकदमे में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए खुले सामान्य तरीके निवारक रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए, हिरासत की रोकथाम के न्यायशास्त्र में संविधान और इस तरह की नजरबंदी को अधिकृत करने वाले अधिनियमों की जो भी थोड़ी सी भी सुरक्षा प्रदान करती है, उसे अत्यधिक महत्व दिया जाता है और इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। [पैरा 28][501-डी]

3.2 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द किया जाता है। त्रिपुरा राज्य द्वारा पारित निवारक हिरासत के आदेश को रद्द कर दिया गया है। [पैरा 29][501-ई]

अशोक कुमार बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य। (1982) 2 एससीसी 403 [1982] 3 एससीआर 707; एस.एल. निज़ामुद्दीन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1975) 3 एससीसी 395: [1975] 2 एससीआर 593; सुरेश महतो बनाम जिला मजिस्ट्रेट बर्दवान, और अन्य। (1975) 3 एससीसी 554; एसके. सेराजुल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1975) 2 एससीसी 78; भवरलाल गणेशमलजी बनाम तमिलनाडु राज्य (1979) 1 एससीसी 465: [1979] 2 एससीआर 633; शफीक अहमद बनाम जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ और अन्य। (1989) 4 एससीसी 556: [1989] 1 पूरक। एससीआर 56; आशा देवी बनाम गुजरात सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव और अन्य, 1979 सीआरएल एलजे 203।

केस कानून संदर्भ

[1982] 3 एससीआर 707	करने के लिए भेजा	पैरा 13
[1975] 2 एससीआर 593	करने के लिए भेजा	पैरा 16
[1979] 2 एससीआर 633	करने के लिए भेजा	पैरा 18
[1989] 1 पूरक। एससीआर 56	करने के लिए भेजा	पैरा 19

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या. 2022 का 1708.

2021 के डब्ल्यूपी (सी) (एचसी) संख्या 06 में अगरतला में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 01.06.2022 से।

सुश्री मधुमिता भट्टाचार्जी, श्रीजा चौधरी, अनंत। सलाह. अपीलकर्ता के लिए.

बी के एम नटराज, एएसजी नचिकेता जोशी, सुश्री हिमाद्रि हक्सव, सुश्री सुचेता जोशी, अक्षय अमृतांशु, शैलेश मडियाल, सुश्री बानी दीक्षित। सुदर्शन के.. नकुल चेंगप्पा के.के., मुकेश कुमार मारोरिया, सलाहकार। उत्तरदाताओं के लिए.

न्यायालय का फैसला जे.बी. पारदीवाला, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति स्वीकृत.

2. यह अपील नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम, 1988 (संक्षेप में, 'पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम) की धारा 3 (1) के तहत हिरासत में लिए गए एक बंदी के उदाहरण पर है और डी के फैसले के खिलाफ निर्देशित है और अगरतला में त्रिपुरा उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.06.2022 को रिट याचिका (सिविल) संख्या 6, 2021 में पारित आदेश, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें पारित हिरासत आदेश की वैधता और वैधता पर सवाल उठाया गया था। त्रिपुरा सरकार दिनांक 12.11.2021 और इस प्रकार हिरासत के आदेश की पुष्टि करती है।

3. यह सब पुलिस अधीक्षक, पश्चिम त्रिपुरा जिला, उप-विभागीय पुलिस अधिकारी, अमतली, पश्चिम त्रिपुरा द्वारा पुलिस अधीक्षक (सी/एस), पश्चिम त्रिपुरा, अगरतला को प्रस्तुत दिनांक 28 जून, 2021 के एक प्रस्ताव के साथ शुरू हुआ। पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत हिरासत का उचित आदेश पारित करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी को स्थानांतरित करने के अनुरोध के साथ। एफ

4. प्रस्ताव इस प्रकार है:-

"त्रिपुरा सरकार उपमंडलीय पुलिस अधिकारी कार्यालय पश्चिमी त्रिपुरा, अगरतला

No. 1445/SDPO(AMT)21

दिनांक, 28 जून, 2021

पुलिस अधीक्षक (सी/एस)।

पश्चिम त्रिपुरा, अगरतला।

विषय: अभियुक्त ए सुशांत कुमार बानिक, पुत्र के निवारक निरोध आदेश का प्रस्ताव। लेफ्टिनेंट शांति च. सिद्धिआश्रम, बदरघाट, कालीमाता संघ, रेलवे स्टेशन के पास, पीएस अमताली, पश्चिम त्रिपुरा के बनिक, पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम, 1988 के तहत यू/-3।

महोदय।

ऊपर उद्धृत विषय के संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि मैं आरोपी सुशांत कुमार बानिक, पुत्र के खिलाफ निवारक निरोध आदेश जारी करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। लेफ्टिनेंट शांति च. सिद्धिआश्रम, बदरघाट, कालीमाता संघ, रेलवे स्टेशन के पास, पीएस-अमताली, पश्चिम त्रिपुरा के बनिक, पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम, 1988 के तहत यू/-3।

प्रस्ताव और विभिन्न स्रोतों से एकत्र किए गए प्रासंगिक रिकॉर्ड के आधार पर, सुशांत कुमार बानिक, पुत्र की हिरासत के लिए निम्नलिखित आधार पाए गए हैं। लेफ्टिनेंट शांति च. सिद्धिआश्रम, बदरघाट, कालीमाता संघ, रेलवे स्टेशन के पास, पीएस-अमताली, पश्चिम त्रिपुरा के बनिक, पीआईटी एनडीपीएस डी अधिनियम, 1988 के तहत यू/-3।

1. श्री सुशांत कुमार बनिक, पुत्र. लेफ्टिनेंट शांति च. सिद्धिआश्रम, बदरघाट, कालीमाता संघ, रेलवे स्टेशन के पास, पीएस-अमताली, पश्चिम त्रिपुरा के बानिक पर अमताली पीएस केस संख्या 2019/एएमटी/208 दिनांक 05/11/2019 यू/एस 22(बी)/22(सी) में आरोप पत्र दायर किया गया था।)/ई एनडीपीएस अधिनियम, 1985 का 29 जो 92 ग्राम ब्राउन शुगर (हेरोइन) और 7600 नग याबा गोलियों की जब्ती के बाद दर्ज किया गया था। मामले की जांच से पता चला है कि वह पूरे राज्य और राज्य के बाहर नशीली दवाओं का अवैध कारोबार चलाने में शामिल है। विषय को 05/11/2019 को गिरफ्तार किया गया और एलडी को भेज दिया गया। अदालत। इस मामले में उन्हें पहले ही अमताली पीएस सी/एस संख्या 11/20 दिनांक 09/02/2020 के तहत आरोप पत्र दायर किया जा चुका है (एफआईआर की प्रतिलिपि, जब्ती सूची, सूची, गिरफ्तारी ज्ञापन, एसएफएसएल रिपोर्ट, गवाहों के बयान संलग्न हैं)।

2. श्री सुशांत कुमार बनिक, पुत्र। लेफ्टिनेंट शांति च. सिद्धिआश्रम, बदरघाट, कालीमाता संघ, रेलवे स्टेशन के पास, जी पीएस-अमताली, पश्चिम त्रिपुरा का बनिक फिर से पूर्वी अगरतला पीएस केस नंबर

2021 ईएजी 052 दिनांक 25/04/2021 यू/एस-21(बी)/29 में शामिल हो गया। एनडीपीएस अधिनियम जिसमें 25/04/2021 को उक्त सुशांत कुमार बनिक पुत्र लेफ्टिनेंट सैंटी च. बनिक को एक बार फिर बदरघाट रेलवे स्टेशन के पास एनडीपीएस पदार्थ का कारोबार करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। एक उसके कब्जे से 20,400/- रुपये नकद और एक एंड्रॉइड मोबाइल के साथ संदिग्ध हेरोइन से भरी थैली बरामद की गई। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि उक्त सुशांत कुमार बनिक एक आदतन ड्रग डीलर है और युवाओं को ड्रग बेचता है, जिससे युवा साथियों के साथ-साथ पूरे समाज का जीवन भी चलता है। उपरोक्त संदर्भित मामले की जांच प्रगति पर है और पता चला है कि उक्त सुशांत कुमार बानिक न्यायिक हिरासत में हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि श्री सुशांत कुमार बनिक राज्य के अंदर और राज्य के बाहर मादक पदार्थों की अवैध तस्करी में एक सरगना है। अमताली पीएस केस नंबर 208/19 और पूर्वी अगरतला पीएस केस नंबर 52/2021 के तहत पिछले मामले में गिरफ्तारी के बाद भी उसने नशीले पदार्थों और साइकोट्रोपिक पदार्थों की अपनी अवैध गतिविधियों को बंद नहीं किया। यह दर्शाता है कि उसका अवैध एनडीपीएस कारोबार जारी रखने का दृढ़ संकल्प है। आगे उल्लेख किया गया है कि नशीली दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों की अवैध तस्करी ने लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है और समाज को इस खतरे से बचाने के लिए इस विषय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना आवश्यक है।

कृपया सुसंता कुमार बानिक, पुत्र के खिलाफ नजरबंदी आदेश जारी करने के लिए उचित प्राधिकारी से संपर्क किया जाए। लेफ्टिनेंट शांति च. सिद्धिआश्रम, बदरघाट, कालीमाता संघ, रेलवे स्टेशन के पास, पीएस-अमताली, पश्चिम त्रिपुरा के बानिक को पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम, 1988 की धारा-3 के तहत मादक पदार्थों और मनोदैहिक पदार्थों की अवैध तस्करी में शामिल होने से रोका गया।

संलग्न: विश्वसनीय दस्तावेज़ों की सूची।

सादर

एसडी/-28/6/21

(अनिर्बान दास)

पुलिस अधीक्षक,

पश्चिम त्रिपुरा जिला,

उप-विभागीय पुलिस अधिकारी अमतली,

पश्चिम त्रिपुरा।"

5. सचिव (गृह विभाग), त्रिपुरा सरकार ने पुलिस महानिदेशक द्वारा अग्रेषित दिनांक 14.07.2021 के प्रस्ताव पर कार्रवाई करते हुए दिनांक 12.11.2021 को हिरासत आदेश पारित किया जो इस प्रकार है:

"नंबर एफ. 15(9)-पीडी/2021(111)

त्रिपुरा सरकार, गृह विभाग

12 नवंबर, 2021

आदेश

वहीं, पुलिस महानिदेशक ने श्री सुशांत कुमार बनिक पुत्र को हिरासत में लेने का प्रस्ताव भेजा है। लेफ्टिनेंट शांति च. पीआईटीएनपीएस अधिनियम, 1988 के तहत सिद्धिआश्रम, बदरघाट, कालीमाता संघ, अगरतला रेलवे स्टेशन के पास, पीएस-अमताली, पश्चिम त्रिपुरा के बनिक के साथ-साथ नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1988 में अवैध तस्करी की रोकथाम की धारा 3 (1) के तहत रिकॉर्ड।

और

जबकि, पुलिस महानिदेशक, त्रिपुरा द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि श्री सुशांत कुमार बानिक, पुत्र। स्वर्गीय शांति चौ. पीआईटीएनपीएस अधिनियम के तहत सिद्धिआश्रम, बदरघाट, कालीमाता संघ, अगरतला रेलवे स्टेशन के पास, पीएस-अमताली, पश्चिम त्रिपुरा के बनिक। 1988 निम्नलिखित मामलों में शामिल था:

(i) अमताली पीएस केस नंबर 2019/एएमटी/208 दिनांक 05.11.2019 22(बी)/22(सी)/29 एनडीपीएस अधिनियम, 1985।

(ii) पूर्वी अगरतला पीएस केस संख्या 2021 ईएजी 052 दिनांक 25.04.2021 एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21(बी)/29 के तहत।

और

जबकि, उसका अमताली पीएस केस नंबर 2019/एएमटी/208 दिनांक 05/11/2019 यू/एस 22(बी)/22(सी)/29 के संबंध में एनडीपीएस एफ लेखों के तस्करों और अवैध ड्रग तस्करों के साथ संबंध है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 और पूर्वी अगरतला पीएस केस संख्या 2021 ईएजी 052 दिनांक 25/04/2021 एनडीपीएस अधिनियम के तहत यू/एस-21(बी)/29।

और

जबकि, फील्ड जानकारी से पता चला है कि व्यक्ति अभी भी एनडीपीएस लेखों की अवैध तस्करी में सक्रिय है, लेकिन उसे दोबारा रंगे हाथ गिरफ्तार नहीं किया जा सका और पीआईटीएनडीपीएस के तहत हिरासत आदेश जारी होने से पुलिस को अध्याय-V (ए) के तहत निर्धारित वित्तीय जांच शुरू करने में भी मदद मिलेगी। एनडीपीएस एक्ट के.

और

जबकि, श्री सुशांत कुमार बनिक, पुत्र. स्वर्गीय शांति चौ. सिद्धिआश्रम, बदरघाट, कालीमाता संघ, अगरतला रेलवे स्टेशन के पास, पीएस-अमताली, पश्चिम त्रिपुरा के बानिक पर अमताली पीएस केस संख्या 2019/एएमटी/208 दिनांक 05.11.2019 यू/एस 22(बी)/22(सी) में आरोप पत्र दायर किया गया था। /एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के 29 जो 92 ग्राम ब्राउन शुगर (हेरोइन) और 7600 नग याबा टैबलेट की जब्ती के बाद दर्ज किया गया था। मामले की जांच से पता चला है कि वह पूरे राज्य और राज्य के बाहर नशीली दवाओं के अवैध कारोबार में शामिल है।

और

जबकि, वह राज्य के अंदर और राज्य के बाहर मादक पदार्थों की अवैध तस्करी में सरगना है। अमताली पीएस केस नंबर 208/19 और पूर्वी अगरतला पीएस केस नंबर 52/2021 के तहत पिछले मामले में गिरफ्तारी के बाद भी उसने नशीले पदार्थों और साइकोट्रोपिक पदार्थों की अपनी अवैध गतिविधियों को बंद नहीं किया। यह दर्शाता है कि उसका अवैध एनडीपीएस कारोबार जारी रखने का दृढ़ संकल्प है।

नशीली दवाओं और नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी ने लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया है और समाज को इस खतरे से बचाने के लिए व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना आवश्यक है।

और

जबकि, पुलिस महानिदेशक, त्रिपुरा ने श्री सुशांत कुमार बानिक, पुत्र को रोकने का प्रस्ताव दिया है। स्वर्गीय शांति चौ. सिद्धिआश्रम, बदरघाट, कालीमाता संघ, अगरतला रेलवे स्टेशन के पास, पीएस-अमटाली, पश्चिम त्रिपुरा के बानिक को समाज के हित में मादक दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों के अवैध व्यापार में संलग्न होकर अपनी हानिकारक और पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधि जारी रखने से रोका जाए।

और

अब, इसलिए, अधोहस्ताक्षरी, स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम, 1988 की धारा (3) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार का विशेष रूप से सशक्त अधिकारी होने के नाते और सावधान पुलिस महानिदेशक, त्रिपुरा के प्रस्ताव और अन्य सहायक दस्तावेजों की जांच में पाया गया श्री सुशांत कुमार बनिक ए को हिरासत में लेने के लिए पर्याप्त आधार हैं और इस बात से संतुष्ट हैं कि उसे एनडीपीएस में अवैध तस्करी में शामिल होने से रोकने के लिए उसे हिरासत में लेना आवश्यक है और तदनुसार श्री सुशांत कुमार बनिक पुत्र को हिरासत में लेने का निर्देश दिया जाता है। स्वर्गीय शांति चौ. सिद्धिआश्रम, बदरघाट के बनिक। कालीमाता संघ, अगरतला रेलवे स्टेशन के पास, पीएस-अमताली, पश्चिम त्रिपुरा।

उल्लेखित है कि अभियुक्त श्री सुशांत कुमार बनिक पुत्र स्व. स्वर्गीय शांति चौ. सिद्धिआश्रम, बदरघाट, कालीमाता संघ, अगरतला रेलवे स्टेशन के पास, पीएस-अमताली, पश्चिम त्रिपुरा के बनिक हिरासत के इस आदेश के खिलाफ केंद्र/राज्य सरकार को अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा अभ्यावेदन केंद्र/राज्य सरकार को अग्रेषित करने के लिए अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत किया जा सकता है। अभियुक्त को सूचित किया जाता है कि उसे इस आदेश के खिलाफ केंद्र/राज्य सरकार को प्रतिनिधित्व करने के लिए सभी उचित अवसर मिलेंगे, इसलिए वह अधोहस्ताक्षरी को बता सकता है कि उसे इस उद्देश्य के लिए किस अवसर की आवश्यकता है। अभियुक्त को इस हिरासत आदेश के खिलाफ अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अभ्यावेदन डी करने के उसके अधिकार के बारे में अवगत कराया जाना है। अभियुक्त को सूचित किया जाना चाहिए कि उसे भी सलाहकार बोर्ड के समक्ष सुनवाई का अधिकार है।

केंद्रीय जेल/जिला जेल/उप-जेल के संबंधित अधीक्षक से अनुरोध किया जाता है कि वे हिरासत के आदेश को प्रभावी करते समय प्राप्तकर्ता को एक जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त करें जो हिरासत के आधार के साथ-साथ इस आदेश की सामग्री के बारे में विस्तार से बताएगा। यहां तक कि आदेश आदि के बारे में

उस भाषा में जानकारी देने के लिए किसी अन्य सरकारी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति की सहायता भी ली जा सकती है, जिसे उक्त आरोपी व्यक्ति दो गवाहों की उपस्थिति में, आरोपी से प्राप्त रसीद पर हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान के साथ समझता है।

केंद्रीय जेल/जिला जेल/उप-जेल के संबंधित अधीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि वे संबंधित प्राधिकारी को अभ्यावेदन देने में आरोपी को सभी सहायता प्रदान करें। केंद्रीय जेल/जिला जेल/उप-जेल के अधीक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता में स्टेशनरी और अभियुक्त द्वारा वांछित कोई अन्य वस्तुएँ शामिल हो सकती हैं। केंद्रीय जेल/जिला जेल/उप-जेल के अधीक्षक एक साक्षर व्यक्ति भी उपलब्ध कराएंगे जो केंद्र/राज्य सरकार को प्रतिनिधित्व का मसौदा तैयार करने में अभियुक्त की सहायता करेगा, यदि वह साक्षर नहीं है।

Sd/-12.11.2021 (ए. रॉय)

त्रिपुरा सरकार के सचिव"

6. इस प्रकार, पूर्वोक्त से, ऐसा प्रतीत होता है कि निवारक बी हिरासत का आदेश अनिवार्य रूप से इस आधार पर पारित किया गया था कि अतीत में अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 22 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दो प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थीं। बी)/22(सी)/29 और 21(बी) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में, 'एनडीपीएस अधिनियम, 1985') का उत्तर है और एक आदतन अपराधी है। पहली FIR दिनांक 05.11.2019 की है और दूसरी FIR दिनांक 25.04.2021 की है. दिनांक 05.11.2019 को एफआईआर की जांच के अंत में आरोप पत्र दाखिल किया गया और आज तक मुकदमा लंबित है। जहां तक एफआईआर दिनांक 25.04.2021 की जांच का सवाल है, उसे प्रस्ताव की तिथि पर लंबित दिखाया गया है। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डी एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत दर्ज उपरोक्त दोनों मामलों में, अपीलकर्ता को विशेष न्यायालय, त्रिपुरा द्वारा जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया था। सी

7. अपीलकर्ता ने अगरतला में त्रिपुरा उच्च न्यायालय में 2021 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 6 दायर करके हिरासत आदेश की वैधता और वैधता पर सवाल उठाया। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और ई आदेश दिनांक 01.06.2022 के माध्यम से रिट आवेदन को खारिज कर दिया, जिससे निवारक हिरासत के आदेश की पुष्टि हुई।

8. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, अपीलकर्ता (हिरासत) वर्तमान अपील के साथ इस न्यायालय के समक्ष है।

विश्लेषण:

एफ 9. हमने अपीलकर्ता बंदी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री मधुमिता भट्टाचार्जी और त्रिपुरा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री नचिकेता जोशी को सुना है।

10. दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा कई तरह के तर्क उठाए गए हैं।

11. हम निम्नलिखित दो आधारों पर इस अपील को स्वीकार करने के लिए राजी हैं:

(i) प्रस्ताव की तारीख से हिरासत के आदेश को पारित करने में देरी, जिससे पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों और हिरासत के उद्देश्य और विफलता के बीच "जीवित और निकटतम लिंक" टूट गया।

किसी भी तरीके से इस तरह की देरी को समझाने में हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी का हिस्सा।

(ii) हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी इस तथ्य से अनभिज्ञ रहा कि हिरासत के आदेश पारित करने के उद्देश्य से हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा भरोसा किए गए दोनों आपराधिक मामलों में, अपीलकर्ता बंदी को विशेष अदालत द्वारा जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया था। बी हिरासत प्राधिकारी इस बात से अनभिज्ञ रहा क्योंकि दोनों मामलों में अपीलकर्ता बंदी को जमानत पर रिहा किए जाने के इस महत्वपूर्ण तथ्य को प्रस्ताव पारित करने के लिए अग्रेषित करते समय प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के ध्यान में नहीं लाया गया था। निवारक निरोध का उचित आदेश.

हिरासत का आदेश पारित करने में देरी

12. हम उन आवश्यक तथ्यों को दोबारा दोहरा सकते हैं जिनका देरी के मुद्दे से संबंध है। डी पुलिस अधीक्षक के अंत में अपीलकर्ता को निवारक रूप से हिरासत में लेने के लिए कदम उठाने का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक (सी/एस) पश्चिम त्रिपुरा को संबोधित है। अगरतला की तारीख 28 जून 2021 है। यह प्रस्ताव महानिदेशक की ओर से सहायक पुलिस महानिरीक्षक (अपराध) द्वारा सचिव को भेजा गया। गृह विभाग दिनांक 14.07.2021. हिरासत का आदेश 12 नवंबर, 2021 का है। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ई को निवारक हिरासत का आदेश पारित करने में लगभग पांच महीने क्यों लग गए।

13. वास्तव में बहुत सारे अधिकारी हैं जो स्पष्ट और स्पष्ट भाषा में निवारक हिरासत के उद्देश्य और घोषित उद्देश्य को समझा रहे हैं। हमारा मानना है कि इस पहलू पर इस न्यायालय के उन सभी निर्णयों को दोबारा दोहराने और सुनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अशोक कुमार बनाम दिल्ली प्रशासन और

अन्य, (1982) 2 एससीसी 403 में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करना पर्याप्त होगा, जिसमें निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:

"निवारक हिरासत को समाज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए दंडित करना नहीं है, बल्कि ऐसा करने से पहले उसे रोकना और उसे ऐसा करने से रोकना है।"

14. निवारक हिरासत के उपरोक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के साथ-साथ निष्पादन प्राधिकारियों के लिए भी यह बहुत जरूरी हो जाता है कि वे सतर्क रहें और अपनी नजरें सुरक्षित रखें।

लेकिन प्रस्ताव की तिथि से यथाशीघ्र निरोध आदेश पारित करने और निरोध आदेश को क्रियान्वित करने में आंखें नहीं मूंदनी चाहिए क्योंकि निरोध प्राधिकारी या निष्पादन प्राधिकारी की ओर से कोई भी उदासीन रवैया निवारक कार्रवाई के मूल उद्देश्य को विफल कर देगा। और निरोध आदेश को एक मृत पत्र के रूप में बदल दें और संपूर्ण बी कार्यवाही को विफल कर दें।

15. किसी बंदी को गिरफ्तार करने में देरी के प्रतिकूल प्रभाव की जांच इस न्यायालय द्वारा निर्णयों की एक श्रृंखला में की गई है और इस न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में नियम निर्धारित किया है कि किसी बंदी को गिरफ्तार करने और उसे हिरासत में लेने में अनुचित और अस्पष्ट देरी हिरासत आदेश को रद्द कर देती है। . इसके बाद हम जिन निर्णयों का उल्लेख करेंगे, उनमें हिरासत के आदेश पारित होने की तारीख के बाद हिरासत में लिए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करने में देरी हुई थी। हालाँकि, प्रस्ताव की तारीख से हिरासत के आदेश पारित करने में देरी के मामले में भी वही सिद्धांत लागू होंगे। दोनों स्थितियों में सामान्य अंतर्निहित सिद्धांत हिरासत के आधार और हिरासत के स्वीकृत उद्देश्य के बीच "जीवित और निकटतम लिंक" होगा।

16. एसके में. निज़ामुद्दीन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (1975) 3 एससीसी 395, इस न्यायालय ने हिरासत के आदेश के तुरंत बाद हिरासत में लिए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता की जांच करते हुए इस प्रकार कहा:

"यह मान लेना उचित होगा कि यदि जिला मजिस्ट्रेट अपने सामने मौजूद सामग्रियों पर उचित दिमाग लगाने के बाद वास्तव में संतुष्ट था कि याचिकाकर्ता को पूर्वाग्रहपूर्ण तरीके से कार्य करने से रोकने के लिए उसे हिरासत में लेना आवश्यक था, तो वह ऐसा करता। हिरासत के आदेश के तुरंत बाद याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने में अधिक तत्परता के साथ काम किया है, और याचिकाकर्ता को अपनी नापाक गतिविधियों को जारी रखने के लिए इतने लंबे समय तक बड़े पैमाने पर रहने की

अनुमति नहीं दी गई होगी। बेशक जब हम ऐसा कहते हैं तो हमारा मतलब यह नहीं समझा जाना चाहिए कि जब भी हिरासत के आदेश के अनुसार हिरासत में लिए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करने में देरी होती है, तो हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि को वास्तविक या रंगीन नहीं माना जाना चाहिए। प्रत्येक मामले को उसके पर निर्भर होना चाहिए अपने विशिष्ट तथ्य और परिस्थितियाँ। हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के पास देरी के लिए उचित स्पष्टीकरण हो सकता है और यह इस निष्कर्ष को दूर करने के लिए पर्याप्त हो सकता है कि उसकी संतुष्टि वास्तविक नहीं थी।"

उपर्युक्त के अनुसार, भगवती, जे. (जैसा कि उस समय विद्वान मुख्य न्यायाधीश ए थे) ने बताया कि यदि हिरासत के आदेश के अनुसार हिरासत में लिए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कोई देरी होती है, जो प्रथम दृष्टया अनुचित है, तो राज्य को स्पष्ट कारण बताने चाहिए विलंब।

17. इसी तरह का विवाद सुरेश महतो बनाम जिला मजिस्ट्रेट, बर्दवान और अन्य (1975) 3 एससीसी 554 में उठाया गया था, इस न्यायालय के दो निर्णयों, अर्थात् एसके में निर्धारित आदेश के बी आधार पर। सेराजुल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (1975) 2 एससीसी 78, और एसके। निज़ामुद्दीन (सुप्रा) ने तर्क दिया कि उस मामले में हिरासत में लिए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी में देरी से पता चलता है कि हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी वास्तव में और वास्तविक रूप से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि वह बंदी को हिरासत में लेने की आवश्यकता के संबंध में था, अन्यथा उसने बंदी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की कोशिश की होती। तुरंत और उसे अपनी नापाक गतिविधियों को जारी रखने के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ा। भगवती, जे. (तब विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने इस निवेदन पर विचार करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की:

"अब, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है और इस बिंदु पर कानून को इन दो निर्णयों द्वारा अच्छी तरह से स्थापित माना जाना चाहिए - कि यदि हिरासत के आदेश की तारीख और हिरासत में लिए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी की तारीख के बीच अनुचित देरी होती है, तो ऐसी देरी जब तक संतोषजनक ढंग से समझाया नहीं जाता, जिला मजिस्ट्रेट की व्यक्तिपरक संतुष्टि की वास्तविकता पर काफी संदेह पैदा होगा और यह ई ड्रॉ के लिए एक वैध निष्कर्ष होगा कि याचिकाकर्ता को हिरासत में लेने की आवश्यकता के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट वास्तव में और वास्तव में संतुष्ट नहीं था।

18. भवरलाल गणेशमलजी बनाम तमिलनाडु राज्य, (1979) 1 एससीसी 465 में बेंच के लिए बोलते हुए चिन्नाप्पा रेड्डी, जे. ने इस प्रकार समझाया है:

"यह और भी सच है कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा कथित हिरासत के आधार और हिरासत के स्वीकृत उद्देश्य अर्थात् तस्करी गतिविधियों की रोकथाम के बीच एक "जीवित और निकटतम लिंक" होना चाहिए। हम उचित मामलों में मान सकते हैं कि लिंक है " यदि हिरासत के आदेश की तारीख और

हिरासत में लिए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी के बीच लंबी और अस्पष्ट देरी है, तो इसे रद्द कर दिया जाता है। ऐसे मामले में, हम हिरासत के आदेश को रद्द कर सकते हैं, जब तक कि आधार इंगित न करें

हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के दिमाग का ताजा प्रयोग नई स्थिति और बदली हुई परिस्थितियाँ। लेकिन कहाँ देरी को न केवल पर्याप्त रूप से समझाया गया है, बल्कि गिरफ्तारी से बचने के लिए बंदी के अड़ियल या दुर्दम्य आचरण का परिणाम पाया गया है, "लिंक" पर विचार करने का वारंट है, जिसे तोड़ा नहीं गया है बल्कि मजबूत किया गया है।

(जोर दिया गया)

19. सब्यसाची मुखर्जी, जे. (तब विद्वान मुख्य न्यायाधीश थे) शफीक अहमद बनाम जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ और अन्य, (1989) 4 एससीसी 556 में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दो की देरी हुई थी और हिरासत के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता (हिरासत में लिए गए) को आधे महीने तक हिरासत में रखने में यह निष्कर्ष निकला कि "अनुचित देरी हुई थी, देरी सी उस मामले में तथ्यों की स्थिति के अनुरूप नहीं थी और प्रतिवादी अधिकारियों के आचरण से पता चला कि ऐसा नहीं हुआ था।" यह वास्तविक और वास्तविक आशंका है कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति सार्वजनिक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल किसी भी तरीके से कार्य कर सकता है। इसलिए आदेश खराब है और इसे जाना चाहिए।'' हालाँकि, विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि "विलंब अनुचित था या नहीं यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।"

20. इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि यदि हिरासत के आदेश की तारीख और हिरासत में लिए गए व्यक्ति की वास्तविक गिरफ्तारी के बीच अनुचित देरी होती है और उसी तरीके से तारीख से प्रस्ताव और हिरासत के आदेश को पारित करने में, इस तरह की देरी जब तक कि संतोषजनक ढंग से नहीं बताई जाती है, हिरासत आदेश पारित करने में हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की अपेक्षित व्यक्तिपरक संतुष्टि की वास्तविकता पर काफी संदेह पैदा करती है और परिणामस्वरूप हिरासत आदेश को खराब और अमान्य बना देती है क्योंकि " हिरासत के आधार और हिरासत के एफ उद्देश्य के बीच जीवंत और निकटतम लिंक को हिरासत में लेने में तोड़ दिया गया है। यह प्रश्न कि क्या देरी अनुचित है और अस्पष्टीकृत है, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

21. वर्तमान मामले में, परिस्थितियाँ इंगित करती हैं कि प्रायोजक प्राधिकारी से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी अधिक तत्परता के साथ हिरासत के आदेश को पारित करने में उदासीन था। हिरासत के आधार और हिरासत के उद्देश्य के बीच "जीवित और निकटतम संबंध"

हिरासत में लिए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करने में टूट गया। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि देरी को किसी भी तरीके से स्पष्ट नहीं किया गया है और हालांकि देरी के इस बिंदु को विशेष रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया और तर्क दिया गया था, जैसा कि आक्षेपित फैसले के पैरा 14 से स्पष्ट है, फिर भी उच्च न्यायालय ने इस पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है।

महत्वपूर्ण सामग्री या महत्वपूर्ण तथ्य को रोक लिया गया है और प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा उसे हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के समक्ष नहीं रखा गया है

22. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मौजूदा मामले में, अपीलकर्ता को निवारक रूप से हिरासत में लेने के उद्देश्य से हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा भरोसा किए गए दोनों मामलों में, अपीलकर्ता को पहले ही संबंधित विशेष न्यायालय द्वारा बी जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया था। निर्विवाद रूप से, हमें हिरासत के आदेश पर कार्रवाई करने का अनुरोध करते हुए पश्चिम त्रिपुरा जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में इस तथ्य का कोई संदर्भ नहीं मिला। मामले के इस पहलू पर अधिक जोर देने का कारण यह तथ्य है कि अपीलकर्ता को हालांकि एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत अपराध के सिलसिले में विशेष अदालत ने गिरफ्तार किया था। त्रिपुरा ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 37 की कठोरता के बावजूद अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करना उचित समझा। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 37 इस प्रकार है: सी

"धारा 37. अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी-

(ए) इस अधिनियम के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा।

(बी) धारा 19 या धारा 24 या धारा 27 ए ई के तहत दंडनीय अपराधों के लिए और वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े अपराधों के लिए दंडनीय अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को जमानत पर या अपने स्वयं के बांड पर रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि-

लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया गया है, और

(ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, एफ अदालत संतुष्ट है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

(2) उप-धारा (1) के खंड (बी) में निर्दिष्ट जमानत देने की सीमाएं जी आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या किसी अन्य कानून के तहत सीमाओं के अतिरिक्त हैं। ज़मानत देने पर लागू।"

23. उपरोक्त प्रावधान को पढ़ने से पता चलता है कि एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत गिरफ्तार किए गए आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश तभी दिया जा सकता है, जब अदालत संतुष्ट हो कि उचित मामले हैं।

यह मानने का आधार कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। यदि यहां अपीलकर्ता को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 37 की कठोरता के बावजूद जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया था, तो यह सुझाव देता है कि संबंधित न्यायालय को उसके खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं मिला होगा। यदि यह तथ्य हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के ध्यान में लाया जाता, तो इससे हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के दिमाग पर किसी न किसी तरह से इस सवाल पर प्रभाव पड़ता कि हिरासत का आदेश दिया जाए या नहीं। राज्य ने अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने वाली विशेष अदालत द्वारा पारित जमानत आदेशों को चुनौती देने के बारे में कभी नहीं सोचा। बी

सी 24. आशा देवी बनाम गुजरात सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव और अन्य, 1979 सीआरएल एलजे 203 में, इस न्यायालय ने बताया कि:

यदि सामग्री या महत्वपूर्ण तथ्य जो हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के दिमाग को एक या दूसरे तरीके से प्रभावित कर सकते हैं, इस सवाल पर कि हिरासत का आदेश दिया जाए या नहीं, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा पहले नहीं रखा जाता है या उस पर विचार नहीं किया जाता है, तो यह उसकी व्यक्तिपरक संतुष्टि को प्रभावित करेगा। हिरासत का आदेश अवैध.

25. एसके में. निज़ामुद्दीन (सुप्रा) इस न्यायालय ने निम्नानुसार देखा:

"हमें यह सोचना चाहिए था कि जिस व्यक्ति के खिलाफ निवारक हिरासत के माध्यम से कार्यवाही की मांग की गई है उसके खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थिति है जिसे जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष रखा जाना चाहिए। यह परिस्थिति काफी हद तक संभव हो सकती है उसके निर्णय पर प्रभाव पड़ेगा कि हिरासत का आदेश दिया जाए या नहीं। यह पूरी तरह से असंभावित नहीं है कि जिला मजिस्ट्रेट किसी दिए गए मामले में यह विचार कर सकता है कि चूंकि हिरासत में लिए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित है, इसलिए कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। हिरासत फिलहाल के लिए की जानी चाहिए, लेकिन आपराधिक मामले को पूरा चलने दिया जाना चाहिए और केवल अगर इसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि नहीं हो पाती है, तो निवारक हिरासत का सहारा लिया

जाना चाहिए। हिरासत में लिए जाने वाले व्यक्ति के लिए यह सबसे अनुचित होगा उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामले की जानकारी जिला मजिस्ट्रेट को नहीं दी जाएगी।"

26. उपरोक्त निर्णयों से यह उभर कर आता है कि अपेक्षित I व्यक्तिपरक संतुष्टि, जिसका गठन एक पूर्व शर्त है

हिरासत आदेश का पारित होना तब ख़राब हो जाएगा यदि सामग्री या महत्वपूर्ण तथ्य ए जो मुद्दे पर असर डालते हों और हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की संतुष्टि को एक या दूसरे तरीके से प्रभावित करते हों और उसके दिमाग को प्रभावित करते हों, प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा रोक दिए जाते हैं या दबा दिए जाते हैं या नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। और हिरासत आदेश जारी करने से पहले हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया।

27. हमारे दिमाग में यह स्पष्ट है कि जिस समय हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने नजरबंदी का आदेश पारित किया था, उस मामले में यह महत्वपूर्ण तथ्य था। अर्थात्, अपीलकर्ता बंदी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की कठोरता के बावजूद विशेष न्यायालय, त्रिपुरा द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया था। 1985. को संज्ञान में नहीं लाया गया था और दूसरी ओर, इस तथ्य को रोक दिया गया था और हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को यह समझने के लिए दिया गया था कि उन आपराधिक मामलों की सुनवाई लंबित थी।

28. निवारक हिरासत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक गंभीर आक्रमण है और किसी भी अपराध के आरोप वाले व्यक्ति के लिए आरोप को खारिज करने या मुकदमे में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए खुले सामान्य तरीके निवारक रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए, हिरासत की रोकथाम के न्यायशास्त्र में संविधान और इस तरह की नजरबंदी को अधिकृत करने वाले अधिनियमों की जो भी थोड़ी सी भी सुरक्षा प्रदान करती है, उसे अत्यधिक महत्व दिया जाता है और इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

29. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, यह अपील सफल होती है और इसे स्वीकार किया जाता है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया गया है। त्रिपुरा राज्य द्वारा दिनांक 12.11.2021 को पारित निवारक हिरासत के आदेश को रद्द कर दिया गया है और रद्द कर दिया गया है। इसमें अपीलकर्ता को किसी अन्य मामले में आवश्यकता न होने पर तुरंत हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया गया है।

30. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

अपील की अनुमति

सुश्री अंकिता राज,
न्या० दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, पटना द्वारा अनुवादित